

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-03/2026-329

व०प०, राँची, दिनांक-06/02/26

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली-110003.

To upload on
Parivesh

विषय :- मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 121.29 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे० एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में Parivesh 2.0 पर Online Mode में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1051 दिनांक-29.12.2025 एवं पत्रांक-22 दिनांक-15.01.2026 से मूल प्रस्ताव अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

निदेशानुसार विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 121.29 हे० वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करनी होगी।
- क्षतिपूरक वनरोपण हेतु नियमानुसार ससमय सभी कार्रवाई प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
- प्रस्तावित वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक/नोडल पदाधिकारी/PSC-II द्वारा की गई अनुशंसा/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- CWLW द्वारा प्रस्तावित शर्त/शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- F.C. Act, 1980 तथा इसके तहत निर्गत दिशा-निदेशों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- अन्य सामान्य, मानक एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(चन्द्रशेखर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-वन भूमि-03/2026-329

व०प०, राँची, दिनांक-06/02/26

प्रतिलिपि-उप वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-वन भूमि-03/2026-329

व०प०, राँची, दिनांक-06/02/26

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची-834029 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 121.19 ha of Forest Land in favour of CCL for Magadh Railway Siding under Latehar & Chatra South Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 121.19 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-329.. dated-06/02/26..

6/2/26
Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi